कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला–दुर्ग (छत्तीसगढ़)

आदेश

क्रमांक/ 737/अ.जि.द./2021 दुर्ग, दिनांक 24/04/2021

कोविड–19 पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के अनुक्रम में इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 93/अ.जि.द./2021 दिनांक 02.04.2021 सहपठित आदेश क्रमांक 696 दिनांक 13.04.2021 एवं आदेश क्रमांक 107 दिनांक 17.04.2021 के माध्यम से दुर्ग जिला अन्तर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को दिनांक 26.04.2021 प्रातः 06.00 बजे तक की अवधि हेतु कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुये जिला दुर्ग में सार्वजनिक आवागमन एवं अन्य गतिविधियों पर कड़े प्रतिबंध अधिरोपित किये गये है।

दुर्ग जिले में व्यवसायिक गतिविधियों पर अधिरोपित प्रतिबंधों एवं सम्पूर्ण जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित करने के परिणामों का आकलन करने पर तथा भारत सरकार गृह मंत्रालय/स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से प्राप्त परामर्श अनुसार कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने हेतु सम्पूर्ण दुर्ग जिले में कंटेनमेंट जोन की अवधि बढ़ाया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः दण्ड प्रक्रिया सहिता 1973 की धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 30, 34 सहपठित एपिडेमिक एक्ट, 1987 यथासंशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 93/अ.जि.द./2021 दिनांक 02.04.2021 सहपठित आदेश क्रमांक 696 दिनांक 13.04.2021 एवं आदेश क्रमांक 107 दिनांक 17.04.2021 को अधिक्रमित करते हुए मैं, डॉ सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला दुर्ग निम्नलिखित आदेश प्रसारित करता हूँ :–

1. **दुर्ग जिला अन्तर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र दिनांक 06.05.2021 प्रातः 06.00 बजे तक पूर्ववत कंटेनमेंट जोन रहेगा। उपरोक्त दर्शित अवधि में दुर्ग जिले की सभी सीमाएँ पूर्णतः सील रहेगी।**
2. उपरोक्त अवधि में सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लिनिक एवं पशु–चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देगें।
3. शासकीय उचित मूल्य दुकानों को खाद्य नियंत्रक, दुर्ग द्वारा निर्धारित समयावधि में मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिग, नियमित सेनिटाइजेशन एवं भीड़–भाड़ नही होने देने की शर्त का कड़ाई से पालन कराने के अधीन, टोकन व्यवस्था के साथ खुलने की अनुमति होगी।
4. सभी प्रकार की मंडियॉ तथा थोक/फुटकर एवं ग्रॉसरी दुकाने बंद रहेगी **किन्तु आवश्यक वस्तुओं/माल की आपूर्ति सुनिश्चित करनें हेतु गोडाउन में लोडिंग/अन–लोडिंग की अनुमति रात्रि 11.00 बजे से प्रातः 04.00 बजे तक दी जाती है।**

5. फल, सब्जी, अंडा, **पोल्ट्री, मटन, मछली** एवं किराना सामग्री/ग्रॉसरी की होम डिलीवरी प्रातः 06.00 बजे से अपरान्ह 02.00 बजे तक केवल स्ट्रीट वेण्डर्स/ठेले वालों/पिक-अप/मिनी ट्रक/अन्य उपयुक्त छोटे वाहन के माध्यम से की जा सकेगी। इस हेतु प्रयुक्त वाहन पर बैनर या बड़ा स्टिकर प्रदर्शित करना होगा। आम जनता हेतु दुकान खोले बिना किराना दुकानों के आसपास के क्षेत्र में दुकानदार द्वारा स्वयं या डिलीवरी बॉय के माध्यम से उपरोक्त समयावधि में होम डिलीवरी की जा सकेगी। **स्थानीय ऑनलाईन शॉप तथा ई-कामर्स सेवाओं यथा अमेजॉन, फ्लिपकार्ट इत्यादि को उपरोक्त समयावधि में होम डिलीवरी हेतु अनुमति प्रदान की जाती है किन्तु शॉप/स्टोर आम जनता हेतु नही खुलेगें। उपरोक्तानुसार होटलों एवं रेस्टोंरेट्स से केवल स्विगी, जोमेटो इत्यादि ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से होम डिलीवरी की अनुमति दी गई है, इसके संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि होम डिलीवरी के लिए होटल एवं रेस्टारेंट्स से डिलीवरी का समय प्रातः 06.00 बजे से रात्रि 8.00 बजे तक ही रहेगा, किन्तु ग्राहको के लिए इन-हाउस डाइनिंग तथा टेक-अवे पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। भीड़-भाड़ या निर्देशों का उल्लंघन होने पर होटलों एवं रेस्टोरेंट्स को नियमानुसार 30 दिवस हेतु सील करने की कार्यवाही की जावेगी। इस व्यवस्था में संलग्न सभी व्यक्तियों को नियमित अंतराल में कोविड-19 जॉच तथा 45 वर्ष से अधिक अवस्था वाले व्यक्तियों को कोविड-19 वैक्सीनेशन कराना आवश्यक होगा।**

उपरोक्तानुसार होम डिलीवरी के दौरान मास्क धारण करना एवं फिजिकल डिस्टेंसिग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। किसी दुकान में/होम डिलीवरी के दौरान भीड़-भाड़ होने पर एपिडेमिक एक्ट 1897 के अधीन चालान/ अर्थदण्ड अधिरोपित करने के साथ-साथ दुकान को 30 दिवस हेतु सील किया जावेगा। संबंधित नगरीय/ग्रामीण क्षेत्र के अधिकारी उनके क्षेत्र में स्थित प्रोविजन स्टोर/ किराना दुकानो से सम्पर्क हेतु उनके मोबाईल नंबर/पोर्टल की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित करेगें। उपरोक्त निर्देशों के उल्लंघन की दशा में दुकान को सील करने/ठेले को जब्त करने/अर्थदण्ड या चालान की कार्यवाही की जावेगी।

6. पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा केवल शासकीय वाहन/शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन, ए.टी.एम. कैश वैन, अस्पताल/मेडिकल इमरजेन्सी से संबंधित निजी वाहन/एम्बुलेंस, होम डिलीवरी/एल. पी.जी. परिवहन कार्य में प्रयुक्त वाहन, एयरपोर्ट/रेलवे स्टेशन/अन्तर्राज्यीय बस स्टैंड से संचालित ऑटो/टैक्सी, विधिमान्य ई-पास धारित करने वाले वाहन, एडमिट कार्ड/कॉल लेटर दिखाने पर परीक्षार्थी/उनके अभिभावक, परिचय पत्र दिखाने पर मीडियाकर्मी/प्रेस वाहन/न्यूज पेपर हॉकर, दुग्ध-वाहन तथा छत्तीसगढ़ में नही रुकते हुये एक राज्य से सीधे अन्य राज्य जाने

वाले वाहनों को पी.ओ.एल. प्रदान किया जावेगा। अन्य सभी वाहनों हेतु पी.ओ.एल. प्रदान करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

7. दुग्ध पार्लर व दुग्ध–वितरण तथा न्यूज पेपर हॉकर द्वारा समाचार पत्रों के वितरण की समयावधि प्रातः 06.00 बजे से प्रातः 08.00 बजे तक एवं संध्या 05.00 बजे से संध्या 06.30 बजे तक ही होगी। साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि दुग्ध व्यवसाय हेतु कोई भी दुकान/पार्लर नही खोले जायेगें। केवल दुकान/पार्लर के सामने फिजिकल डिस्टेंसिग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का पालन करते हुये उपरोक्त समयावधि में केवल दुग्ध विक्रय की अनुमति होगी।
8. पैट शॉप/एक्वेरियम को केवल पशुओं को पशुचारा देने हेतु प्रातः 06.00 बजे से प्रातः 08.00 बजे तक एवं संध्या 05.00 बजे से संध्या 06.30 बजे तक शॉप खोलने की अनुमति होगी।
9. एल.पी.जी. गैस सिलेन्डर की एजेसिंयॉ केवल टेलीफोनिक या ऑनलाईन ऑर्डर लेंगे तथा ग्राहकों को सिलेन्डरों की घर पहुँच सेवा उपलब्ध करायेगें।
10. औद्योगिक संस्थानों एवं निर्माण इकाईयों को अपने कैम्पस के भीतर(Onsite) मजदूरों को रखकर व अन्य आवश्यक व्यवस्था करते हुये उद्योगों के संचालन व निर्माण कार्यो की अनुमति होगी।
11. उक्त अवधि के दौरान सम्पूर्ण जिला अन्तर्गत संचालित समस्त शराब दुकाने बंद रहेगी।
12. सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल उक्त अवधि में आम जनता के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे।
13. भारत सरकार के अधीनस्थ सभी केन्द्रीय कार्यालय को छूट प्रदान की जाती है।
14. उपरोक्त अवधि में दुर्ग जिला अन्तर्गत सभी केन्द्रीय/शासकीय/सार्वजनिक/अर्द्ध–सार्वजनिक एवं निजी कार्यालय बंद रहेंगे तथापि टेलीकॉम, रेलवे एवं एयरपोर्ट संचालन व रख–रखाव से जुड़े कार्यालय/वर्कशॉप, रेक प्वाइंट पर लोडिंग–अनलोडिंग का कार्य, खाद्य सामग्री के थोक परिवहन, धान मिलिंग हेतु परिवहन एवं शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियॉ बंद रहेगी किन्तु अस्पताल एवं ए.टी.एम. पूर्ववत संचालित रहेंगे।
15. उपरोक्त अवधि के दौरान को–मॉर्बिड/गर्भवती अधिकारियों/कर्मचारियों को एक्टिव ड्यूटी से छूट देते हुए बैंकों को हब–बैंकिंग सिद्धांत अनुसार न्यूनतम स्टाफ के साथ कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाती है किन्तु सभी बैंक–शाखाऍ प्रातः 10.00 बजे से अपरान्ह 1.00 बजे तक ही संचालित हो सकेंगी। पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आवश्यक दवाओं की डिलीवरी उपरोक्त समयावधि मे की जा सकेगी।

उपरोक्त अवधि के दौरान केवल ए.टी.एम कैश रि–फिलिंग, मेडिकल इक्विपमेंट, मेडिसिन, पेट्रोल/डीजल पंप, एल.पी.जी., पी.डी.एस./केरोसीन वितरक शासकीय उचित मूल्य दुकानदारों संबंधी लेन–देन, उद्योगों के व्यापारिक लेन–देन/श्रमिकों के भुगतान, मेडिकल ऑक्सीजन आपूर्ति/लिक्विड ऑक्सीजन उत्पादक, शासकीय लेन–देन, निविदा, अस्पताल एवं मेडिकल

प्रयोजन को छोड़कर आम जनता हेतु किसी प्रकार के सामान्य लेन–देन की अनुमति नहीं होगी। इस हेतु शाखा प्रबंधक संबंधित व्यक्तियों से विधिवत आवेदन प्राप्त कर अभिलेख संधारित करेंगे।

16. सभी प्रकार की सभा, जुलूस, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक आयोजन इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगें। किन्तु विवाह कार्यक्रम वर अथवा वधू के निवास–गृह में ही आयोजित करने तथा कोविड–19 प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन की शर्त के अधीन आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 निर्धारित की जाती है। इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र, इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 निर्धारित की जाती है।

17. कोविड संक्रमण के रोकथाम हेतु जिले में समस्त कार्य जैसे कांटेक्ट ट्रेसिंग, एक्टिव सर्विलांस, होम आईसोलेसन, दवाई वितरण आदि पूर्वानुसार चलते रहेगें। इन कार्य में संलग्न सभी शासकीय कर्मचारियों की उपस्थिति पूर्वानुसार अनिवार्य होगी। कोविड केयर सेंटर से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों के परिवहन में संलग्न वाहन पूर्वानुसार संचालित रहेगें।

18. उपरोक्त अवधि में रेल, बस व हवाई यात्रा हेतु रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड व एयरपोर्ट पर आने–जाने वाले यात्रियों को कोई–पास की आवश्यकता नही होगी। यात्रियों को निवास/स्टेशन तक आने–जाने हेतु उनके पास उपलब्ध यात्रा टिकट ही उनका ई–पास मान्य किया जावेगा।अपरिहार्य परिस्थितियों में दुर्ग जिले से अन्यत्र आने–जाने वाले यात्रियों को ई–पास के माध्यम से पूर्व अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा तथापि प्रतियोगी/अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों हेतु उनका एडमिट कार्ड तथा रेलवे/टेलीकॉम/एयरपोर्ट संचालन एवं रख–रखाव कार्य या हास्पिटल या कोविड–19 ड्यूटी में संलग्न कर्मचारियों/ चिकित्सकों की दशा में नियोक्ता द्वारा जारी आई.डी. कार्ड ई–पास के रुप मान्य किया जायेगा।

19. कोविड–19 टीकाकरण हेतु पंजीयन, कोविड–19 जांच हेतु, मेडिकल दस्तावेज या आधार कार्ड/विधिमान्य परिचय–पत्र दिखाने पर कोविड–19 टीकाकरण केन्द्र अस्पताल/पैथालॉजी लैब अथवा आने–जाने की अनुमति होगी किन्तु अनावश्यक भ्रमण सख्त प्रतिबंधित रहेगा।

20. आपात स्थिति में यात्रा के दौरान 04 पहिया वाहनों में ड्राईवर सहित अधिकतम 03, ऑटो में ड्राईवर सहित अधिकतम 03, एवं दो पहिया वाहन में अधिकतम 02 व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी। रेल्वे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टेड, हॉस्पिटल आवागमन हेतु ऑटो/टैक्सी परिचालन की अनुमति रहेगी किन्तु अन्य प्रयोजन हेतु परिचालन पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। इस निर्देश का उल्लंघन किये जाने पर 15 दिवस हेतु वाहन जब्त करते हुये चालानी व अन्य कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

21. मीडिया कर्मी यथासंभव वर्क फ्रॉम होम द्वारा कार्य संपादित करेगें। अत्यावश्यक स्थिति में कार्य हेतु बाहर निकलने पर अपना आई–कार्ड साथ रखेगें तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेगें।

22. यह आदेश कार्यालय संभागीय आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक (शहर/ग्रामीण), मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील, अस्पताल, थाना एवं पुलिस चौंकी पर लागू नही होगा। इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित अधिकारी, विद्युत, पेयजल आपूर्ति एवं नगर पालिका सेवायें जिसमें सफाई, सीवरेज एवं कचरे का डिस्पोजल इत्यादि भी शामिल है तथा अग्निशमन सेवाओं के संचालन हेतु संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यालय संचालन एवं आवागमन की अनुमति होगी किन्तु इन शासकीय कार्यालयों में उपरोक्त अवधि में आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
23. राज्य शासन या इस कार्यालय के विशेष आदेश द्वारा अनुमति प्राप्त किसी सेवा के संचालन की अनुमति होगी।

उपरोक्त बिन्दुओं को छोड़कर जिले में समस्त गतिविधियॉ पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी।

इस आदेश का उल्लघन करने वाले व्यक्ति/प्रतिष्ठानों पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51–60 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्यवाही की जावेगी।

यह आदेश अल्प समयावधि में लागू किया जाना आवश्यक है। वर्तमान परिस्थितियों में इस आदेश से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को सम्यक समय में तामीली संभव नहीं होने के कारण यह आदेश एकपक्षीय रुप से पारित किया जाता है। आदेश का व्यापक प्रचार–प्रसार तथा कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावें।

यह आदेश दिनांक 26.04.2021 प्रातः 06.00 बजे से लागू होगा।

(डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे)
कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी,
जिला दण्डाधिकारी
दुर्ग

पृ.क्रमांक / 737/अ.जि.मं. / 2021

प्रतिलिपि :–

दुर्ग, दिनांक 24/04/2021

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह (पुलिस) विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ।
3. आयुक्त, दुर्ग संभाग, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4. पुलिस महानिरीक्षक, दुर्ग रेंज, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
5. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग/भिलाई/रिसाली/भिलाई चरोदा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। आपके क्षेत्र अन्तर्गत व्यापक प्रचार–प्रसार तथा कोविड–19 उपयुक्त व्यवहार सुनिश्चित करने हेतु मुनादी कराना सुनिश्चित करें।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत जिला दुर्ग को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. खाद्य नियंत्रक, दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. उप संचालक, जनसंपर्क, दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। दुर्ग जिला अन्तर्गत आवा–गमन के दौरान वाहनों के संबंध में इस आदेश का कड़ाई से पालन कराना सुनिश्चित करें।
11. सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी, जिला दुर्ग को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. लीड बैंक देना बैंक जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
13. सर्व इंसिडेन्ट कमान्डर, जिला दुर्ग को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
14. सर्व तहसीलदार/कार्यपालिक दण्डाधिकारी, जिला दुर्ग को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
15. सर्व, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत जिला दुर्ग को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
16. सर्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगरीय निकाय, जिला दुर्ग को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
17. .... समस्त आम जनता, जिला दुर्ग द्वारा उप संचालक, जनसम्पर्क, दुर्ग को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

कलेक्टर

एवं जिला दण्डाधिकारी,

जिला दण्डाधिकारी

दुर्ग